

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार (म.प्र.)

//वाहन नीलाम हेतु द्वितीय विज्ञप्ति//

क्रमांक 02 /तीन-1-2/2023

धार दिनांक : 15 /02/2024

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज), धार के अनुपयोगी घोषित शासकीय वाहन TATA INDIGO GLX क्रमांक : MP-02-AV-3058 (MODEL : 2010) को (जहां है, जैसी स्थिति में है) निष्प्रयोजित राशि रु. 35,000/- (अक्षरी : पैतिस हजार रुपए मात्र) में **दिनांक : 02-03-2024 (शनिवार) को प्रातः 11:00 बजे** खुली नीलामी के माध्यम से नीलाम किया जाना है।

उक्त नीलामी में "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार" के नाम से देय राशि रूपये 1,750/- (अक्षरी : एक हजार सात सौ पचास रुपए मात्र) का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर, भाग लिया जा सकता है। उपरोक्तानुसार वाहन की खुली निविदा के माध्यम से नीलामी हेतु निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

-: नीलामी की शर्तें :-

- 1- शासकीय वाहन TATA INDIGO GLX क्रमांक : MP-02-AV-3058 (MODEL : 2010) की न्यूनतम ऑफसेट वेल्यू रूपये 35,000/- (अक्षरी : पैतिस हजार रुपए मात्र) (शासकीय बोली) नियत है।
- 2- उक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहन की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि रूपये में रु 1,750/- (शब्दों में : एक हजार सात सौ पचास रुपए) का बैंक ड्राफ्ट "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार" के नाम से देय हो, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।
- 3- अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गयी पूरी राशि जमा करवाने के पश्चात् लौटाया जावेगा।
- 4- सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये, पूर्ण रूप से स्वीकार करने/अस्वीकार करने/आंशिक रूप से स्वीकार करने/निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार सर्वथा "नीलाम समिति" कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धार को प्राप्त होगा।

निरन्तर.....2

- 5— नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।
- 6— अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन के क्रेता को प्रदान किया जावेगा।
- 7— अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 07 (सात) दिवस के अन्दर बोली की सम्पूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट जो "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार" के नाम देय हो, जमा करवाकर वाहन को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
- 8— संबंधित वाहन भौतिक निरीक्षण हेतु जिला न्यायालय परिसर, धार में उपलब्ध है इस हेतु जिला नाजिर/नायब नाजिर से कार्यालयीन दिनांक/समय में सम्पर्क किया जा सकता है।
- 9— बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में, नीलामी संबंधी सम्पूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयी हैं, ऐसा माना जावेगा।
- 10— अनुपयोगी शासकीय वाहन को क्रय करने के पश्चात् क्रेता को उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में जिला न्यायालय परिसर, धार से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा।
- 11— अनुपयोगी शासकीय वाहन विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी करने पर, उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम पंजीयन एवं बीमा कराये जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी।
- 12— वाहन क्रमांक, चैचिस नम्बर, इंजन नम्बर, निविदाकार नीलामी स्थान पर ही मिलान कर लेवे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति विक्रय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।
- 13— उपरोक्त नियमों/शर्तों में शिथिलीकरण का अधिकार स्थापना पर गठित अपलेखन/नीलामी/विनिष्टिकरण समिति के पास सुरक्षित रहेगा।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
धार (म.प्र.)